भारत सरकार

ग्रामीण विकास मंत्रालय

ग्रामीण विकास विभाग

....

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 2112

(28 जुलाई, 2014 को उत्तर दिए जाने के लिए)

इन्दिरा आवास योजना के अंतर्गत आवास निर्माण

2112. श्रीमती वानसुक साइमः

क्या ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या मॉनसून में सम्भावित कमी के कारण सरकार ग्रामीण रोजगार और खपत को बढ़ावा देने के लिए प्रतिबद्ध है और ग्रामीण लोगों को 'मनरेगा' के अंतर्गत मजदूरी के तौर पर प्रति परिवार 12,000/- रुपए का भुगतान कर उन्हें इन्दिरा आवास योजना (आईएवाई) के अंतर्गत अपना घर बनाने में मदद करेगी;

(ख) क्या सरकार इस समय इन्दिरा आवास योजना के अंतर्गत घर के निर्माण के लिए 75,000 रुपए प्रदान करती है जिसमें से 20 प्रतिशत राशि मजदूरी लागत मानी जाती है जो करीब 15000 रुपए होता है; और

(ग) क्या सरकार यह सोचती है कि 'मनरेगा' से अतिरिक्त वित्तीय सहायता से मजदूरी लागत पूरा करने के उनके बोझ में पर्याप्त रूप से कमी आ जाएगी?

उत्तर

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री

(श्री उपेन्द्र कुशवाहा)

(क) मनरेगा अधिनियम, 2005 की अनुसूची – I के पैरा 4 (1)(iv) में इंदिरा आवास योजना अथवा राज्य या केंद्र सरकार की ऐसी अन्य योजना के अंतर्गत स्वीकृत मकानों के निर्माण में अकुशल मजदूरी घटक लागत की अनुमति पहले से ही दी गई है। इस संबंध में जारी किए गए दिशा-निर्देशों के अनुसार, कम से कम 20 वर्ग मीटर क्षेत्रफल में मकान निर्माण के लिए आवश्यक कुल अकुशल श्रम दिवसों की संख्या आईएवाई दिशा-निर्देशों के अनुसार पूर्वोत्तर और पर्वतीय क्षेत्र के लिए 95 श्रम दिवस तथा अन्य क्षेत्रों के लिए 90 श्रम दिवस निर्धारित है।

(ख) आईएवाई के तहत ग्रामीण बीपीएल परिवारों को मकान निर्माण के लिए मैदानी क्षेत्रों में 70,000 रु. प्रति मकान और आईएपी जिलों को शामिल करते हुए पर्वतीय/दुर्गम क्षेत्रों में 75,000 रु. प्रति मकान उपलब्ध कराए जाते हैं। इस योजना के तहत प्रति मकान लागत में मजदूरी लागत घटक को नहीं दर्शाया गया है।

(ग) मनरेगा से अतिरिक्त वित्तीय सहायता मिलने पर आईएवाई लाभार्थियों का वित्तीय भार कम हो जाएगा जैसाकि श्रम लागत मनरेगा निधियों से पूरी हो जाएगी।

*****